संख्या : 47-दो(8)/XXXVI(2)/08

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक :२१ दिसम्बर, 2008

विषय: मा० उच्च न्यायालय अतिथिगृह, डामकोठी संख्या-2, हरिद्वार में फलोर टाईलिंग, रंगाई पुताई, डोरमेट्री निर्माण तथा रिवाइरिंग, एयर कन्डीशनर, गीजर पंखों आदि कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4820/यू०एच०सी०/एडमिन.बी/IX-a-b/2008, दिनांक 20.12.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय अतिथि गृह, डामकोठी संख्या-2, हरिद्वार में फलोर टाईलिंग,रंगाई पुताई, डोरमेट्री निर्माण हेतु रु० 29.40 एवं रिवाइरिंग, एयर कन्डीशनर, गीजर पंखों आदि कार्यो हेतु रू0 8.90 लाख कुल रु० 38.30 लाख की लागत के आगणनो के विरूद्व कमशः रू0 28.93 लाख एवं रू0 8.90 लाख कुल रू0 37.83 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 में सम्पूर्ण धनराशि रू0 37.83 लाख (सैतीस लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति के लिये नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी ।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है ।स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जायें ।

(4) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय ।

(6) निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से पालन किया जायें ।

(7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-2 9(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनागत पक्ष में लेखा-शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-00-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-122P/XXVII(5)/08, दिनांक 29.12.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-47-दो(8)/XXXVI(2)/08-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2- जिला न्यायाधीश, हरिद्वार ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार ।
4- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार ।
5- नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी० ।
6- विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।